

अज अदालत..... **सहामक कलक्टर (SDO)** मुकाम.....

..... बनाम **धम ०५१११५** **प्रमता अगोरे**

किस्म मुकदमा..... **वा० मा० ११९** नं..... **२०४/२०२०** सन् **२०२०**

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21/01/2020	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रि० ध० १११५ मिश्रा</p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128</p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 01/01/2020 को पेश हो।</p> <p>रि० ध० १११५</p>	
01/01/2020	<p>प्रार्थी वकील उपरोक्त/विपार्थी/गोरे</p> <p>के नोटिस तामील बुद्धा जफ्त जिन्हें</p> <p>शाहित मिला गया; विपार्थी/गोरे</p> <p>बाबत तामिल अनुपासित जिन्हें कि</p> <p>एकलपना कार्यवाही समल में लाई गयी</p> <p>है। प्रार्थी के अधिकारता की एकपक्षीय</p> <p>वकालत की गई, प्रार्थी के अधिकारता</p> <p>वापस लेताया गया है। प्रार्थी वकील/गोरे</p> <p>के आवेदनी खेत सेवा-सेव प्रार्थी हुए</p> <p>है। प्रार्थी व विपार्थी/गोरे के मध्य में</p> <p>दुपनी मादे आई हुई थी जो कलकत्ता</p>	

में साक्षियों की वकालत से किफात गई है।

रि० ध० १११५



असि काण जाली व विद्यार्थिनीं डे मध्य
 खेत डे लेहा को लेका हरेणा लखाण
 वग रहला हें। इमालिडे जाली को अपने
 खेत ही नैवमकंठी काण आवश्यक हें इमालिडे
 जाली का नैवमकंठी भाषेण लीका सिता
 जाण नैवमकंठी काडेश सिता जाण

अतः जाली अधिकता डे जिडेण
 पर जाली का नैवमकंठी भाषेण लीका सिता
 जाण लहकीन्युगा कामु का कठिण व
 सम्बन्धित अं-आदिमेय विडीकाड को सहायक
 कठिण निमुळ सिता जाण भाडेश सिता
 जाला हें डि आप स्वयं या सहायक कठिण
 से जाली डे आवेणारी वेलां ही पक्की नैवमकंठी
 भाषे पर कठिण सुलभ जमाकलण को।
 पालना रिपोर्ट जाण लेवे पर कााठिण पनाकनी
 ले, पनाकनी जितल सुहाए लेका डे वळ
 से इत ले साखिल इतर लेण

विद्यार्थी

सहायक कठिण
 जाण

2020

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

क्रमांक/आवेदन/2020/ 579
राजस्व आवेदन संख्या -208/2020

दिनांक:- 08/09/2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

श्री घमण्डाराम पुत्र कोहलाराम
वगैरा 3 जाति-जाट
निवासी-सगरमोणी गोदारों की
ढाणी, बायतु चिमनजी,
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

श्री अमराराम पुत्र लिखमाराम
वगैरा 60, निवासी-सगरमोणी गोदारों
की ढाणी, बायतु चिमनजी,
तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा-सगरमोणी गोदारों की ढाणी, पटवार मण्डल-बायतु चिमनजी, तहसील-बायतु, जिला-बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 518/477, 495/12, 496/20 रकबा क्रमशः 17.9274, 4.3767, 21.3819 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



क्रमांक/आवेदन/2020/ 500 to 584
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
बायतु (क व्यास) 9.2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 08/09/2020

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, बायतु चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रिकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री घमण्डाराम पुत्र कोहलाराम वगैरा 3।
4. विप्रार्थीगण श्री अमराराम पुत्र लिखमाराम वगैरा 60।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, बायतु।

sd-

उपखण्ड अधिकारी बायतु